<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2024 **दायर दिनांकः 14/10/2024**

उनवान

1. हकीमन आयु 59 वर्ष पुत्री जमाल मोहम्मद पत्नी शरीफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कुंजेड हाल शास्त्री नगर लंकापुर जयपुर (राज०)

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द गौतम
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

<u>आदेश</u> **दिनाकः 18.12.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू में खाता संख्या 6 का खसरा न. 1015 का रकबा 4.37 हैक्टर आराजी भूमि वादिया के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/12 दर्ज खाता है। वादिया संयुक्त खातेदारी की हैसियत से खातेदार कृषक है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। वादिया के पिता की मृत्यु के बाद वर्षों पूर्व खुले इन्तकाल में मृतक जमाल के वारिसान के रूप में वादिया का नाम उपरोक्त आराजी खाता संख्या 6 में हकीमा पुत्री जमाल अंकित किया गया था। प्रार्थिया/वादिया को उसके गाँव में बोलचाल की भाषा में गाँव के लोग हकीमा के नाम से पुकारते थे, इसलिए वादिया का नाम बवक्त इन्तकाल जांच में गाँव वालों ने हकीमा अंकित करा दिया लेकिन वादिया का सही नाम हकीमन है। वादिया के समस्त कागजात आधार कार्ड, परिषद नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत कुंजेड द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्राम कुंजेड के निवासियों के शपथ पत्र वाद के साथ पेश हैं जो काबिले गौर है। यह कि वादिया ने उक्त आराजी में नाम शुद्धि करवाने हेतु कई बार तहसीलदार साहब अटरू से अनुरोध किया लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:05 IST
Reason: SelfAttested

शुद्धि नहीं की गई। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तहसीलदार महोदय अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाकर धारा 80 सीपीसी का नोटिस दे दिया है। उक्त कृषि भूमि ग्राम कुंजेड तहसील अटरू में होने से माननीय न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः वाद प्रस्तुत कर अनुरोध है कि ग्राम/माल कुंजेड की कृषि भूमि खाता संख्या 6 का खसरा न. 1015 का रकबा 4.37 हैक्टर में वादिया का नाम हकीमा पुत्री जमाल के स्थान पर हकीमन पुत्री जमाल (शुद्ध) अंकित करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3543 दिनांक 25.11.2024 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– मतदाता पहचान पत्र हकीमन, शपथ पत्र रामगोपाल पुत्र बंशीलाल, शपथ पत्र सिराज भाई पुत्र ताज मोहम्मद, ग्राम पंचायत कुंजेड प्रमाण पत्र, शपथ पत्र हकीमन, आधार कार्ड हकीमन, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुंजेड सम्वत 2074–77 खाता संख्या 6, प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद नगर निगम हेरिटेज का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू में खाता संख्या 6 का खसरा न. 1015 का रकबा 4.37 हे0 में सहखातेदार हकीमा पुत्री जमाल के स्थान पर हकीमन पुत्री जमाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:05 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल कुंजेड तहसील अटरू में खाता संख्या 6 का खसरा न. 1015 का रकबा 4.37 हे0 में सहखातेदार हकीमा पुत्री जमाल के

स्थान पर हकीमन पुत्री जमाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.01.02 17:36:05 IST
Reason: SelfAttested